



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274071  
CG-DL-E-03072026-274071

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 511]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सं. 14/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 569(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लुफोसिनेट और उसके साल्ट" (एतस्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात के मामले में, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 10 फरवरी, 2025 की अपनी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फ. सं. 7/02/2026-डीजीटीआर द्वारा विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मई, 2025, जिसे सा.का.नि. 300(अ), दिनांक 8 मई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना फ. सं. 7/02/2026-डीजीटीआर, दिनांक 2 मार्च, 2026, जिसे दिनांक 2 मार्च, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9ए के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 30 के तहत, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात के संबंध में प्रतिपाटन शुल्क की समावेशन-रोधी समीक्षा आरंभ की है;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिपाटन शुल्क के समावेशन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए हैं और उक्त नियमावली के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुसार उक्त समीक्षा के पूर्ण होने तक चीन जनवादी गणराज्य से विषयगत वस्तु के आयातों के अनंतिम आकलन की सिफारिश की है;

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा आदेश देती है कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क की समावेशन-रोधी समीक्षा जांच के परिणाम के आने तक, चीन जनवादी गणराज्य से विषयगत वस्तु के वे आयात, जिन पर अधिसूचना संख्या 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मई, 2025, जिसे सा.का.नि. 300(अ), दिनांक 8 मई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अधीन प्रतिपाटन शुल्क लगता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमावली के नियम 31 के उप-नियम (3) के अधीन निर्णय लिए जाने तक अनंतिम आकलन के अधीन रखे जाएंगे।

2. अनंतिम आकलन ऐसी गारंटी प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा, जिसे सीमा शुल्क का समुचित अधिकारी उचित समझे, ताकि अंतर प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, जिसका भुगतान विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों और उक्त नियमावली के नियम 31 के उप-नियम (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के निर्णय के फलस्वरूप देय हो सकता है, का भुगतान किया जा सके।

**टिप्पणी:** यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मई, 2025, जिसे सा.का.नि. 300(अ), दिनांक 8 मई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार लगाया और संग्रहीत किया जाता रहेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/54/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2026

**No. 14/2026-Customs (ADD)**

**G.S.R. 569(E).**— Whereas, in the matter of import of ‘Glufosinate and its salt’ (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from People's Republic of China, the designated authority, *vide* its final findings notification F. No. 7/02/2026-DGTR dated the 10<sup>th</sup> February, 2025, had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 09/2025-Customs (ADD), dated the 8<sup>th</sup> May, 2025, published *vide* number G.S.R. 300(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8<sup>th</sup> May, 2025;

And whereas, the designated authority, *vide* initiation notification F. No. 7/02/2026-DGTR dated the 2<sup>nd</sup> March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 2<sup>nd</sup> March, 2026, has initiated an anti-absorption review investigation under Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) read with rule 30 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in respect of imports of the subject goods originating in or exported from People's Republic of China;

And whereas, the designated authority has observed prima facie evidence of absorption of anti-dumping duty and has recommended provisional assessment of imports of the subject goods from People's Republic of China pending completion of the said review in accordance with sub-rule (5) of rule 30 of the said rules;

Now, therefore, in accordance with sub-rule (5) of rule 30 of the said rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said anti-absorption review investigation, imports of the subject goods from People's Republic of China attracting anti-dumping duty under notification No. 09/2025-Customs (ADD), dated the 8<sup>th</sup> May, 2025, published *vide* number G.S.R. 300(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 08<sup>th</sup> May, 2025, shall be subjected to provisional assessment till a decision under sub-rule (3) of rule 31 of the said rules is taken by the Central Government.

2. The provisional assessment shall be subject to furnishing such guarantee as the proper officer of customs deems fit, for payment of the differential anti-dumping duty, if any, that may become payable consequent upon the recommendations of the designated authority and the decision of the Central Government under sub-rule (3) of rule 31 of the said rules.

**Note:** It is clarified that the anti-dumping duty imposed *vide* notification No. 09/2025-Customs (ADD), dated the 8<sup>th</sup> May, 2025, published *vide* number G.S.R. 300(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 08<sup>th</sup> May, 2025, shall continue to be levied and collected on imports of the subject goods originating in or exported from People's Republic of China, in accordance with the provisions of the said notification.

[F. No. CBIC-190354/54/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.